न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना
पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद सीरवी आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :– 02/19

अपीलाण्ट

1. विजयकुमार पुत्र बद्रीलाल
   जाति घांची निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेन्टगण

1. पेपीदेवी पत्नी ताराचन्द भाटी जाति घांची निवासी मोकलसर के कायम मुकाम
   1/1 रमेशकुमार पुत्र ताराचन्द के कायम मुकाम
      1/1/1 नारायणी देवी पत्नी रमेशकुमार
      1/1/2 संयमकुमार पुत्र रमेशकुमार
      1/1/3 प्रियंका पुत्री रमेशकुमार
         1/1/2 व 1/1/3 जरिये कुदरती वली माता नारायणी
   1/2 नरेशकुमार पुत्र ताराचन्द जाति घांची निवासी मोकलसर तहसील सिवाना
   1/3 नीकीता पत्नी राहुलकुमार पुत्री ताराचन्द जाति घांची निवासी बालोतरा
2. श्यामलाल पुत्र अनन्तराम भाटी जाति घांची निवासी मोकलसर तहसील सिवाना
3. ग्राम पंचायत महिलावास तहसील सिवाना
4. तहसीलदार सिवाना

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध म्यूटेशन संख्या 978 स्वीकृति दिनांक 20.07.2012 द्वारा ग्राम पंचायत महिलावास

उपस्थित :–

1. **श्री पूनमचन्द रामदेव अधिवक्ता अपीलान्ट**

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 06/12/19

अपीलान्ट ने यह अपील नामान्तरणकरण संख्या 978 दिनांक 20.07.2012 को ग्राम पंचायत 20.07.2012 द्वारा स्वीकृत करने के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसीलदार सिवाना के आदेश क्रमांक 708, 712, 716, 736 दिनांक 12.02.2002 को आवासीय सनद जारी होने पर ग्राम महिलावास के खसरा नम्बर 85 में श्यामलाल पुत्र अनन्तराम के पक्ष में 598.27 वर्गमीटर, विजयकुमार के पक्ष में 594.56 वर्गमीटर, मीमोदेवी पत्नी बद्रीलाल के पक्ष में 598.27 वर्गमीटर एवं नारायण पुत्र भागूराम के पक्ष में 330 वर्गमीटर भूमि का म्यूटेशन संख्या 503 गैरमुमकिन आवास दर्ज किया गया। मीमोदेवी के पक्ष में दर्ज भूमि का खसरा नम्बर 85/13 दर्ज किया गया तथा श्यामलाल के पक्ष में दर्ज भूमि का खसरा नम्बर 85/11 दर्ज किया गया। संवत् 2067 से 2070 की जमाबन्दी के अनुसार मीमोदेवी पत्नी बद्रीलाल के नाम खसरा संख्या 2125/85 एवं श्यामलाल पुत्र अनन्तराम के नाम खसरा संख्या 2123/85 राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। श्यामलाल ने अपने नाम दर्ज भूमि में से 798.93 वर्गफीट का बेचान जरिये रजिस्टर्ड सेलडीड के मीमोदेवी पत्नी बद्रीलाल जो अपीलाण्ट की माता है, के नाम कर दिया। जिसका नामान्तरण मीमोदेवी के जीवनकाल में दर्ज नहीं हुआ। मीमोदेवी का देहान्त वर्ष 2012 में हो गया, जिस पर खसरा नम्बर 2125/85 का म्यूटेशन संख्या 1009 दिनांक 20.12.2012 अपीलान्ट के नाम दर्ज किया गया। श्यामलाल के नाम खसरा संख्या 2123/85 दर्ज है। रजिस्टर्ड सेलडीड दिनांक 19.05.2008 द्वारा श्यामलाल ने अपनी उक्त भूमि में से 798.93 वर्गफीट भूमि का बेचान मीमोदेवी को किया गया एवं मीमोदेवी ने उसी भूमि को आगे पेपीदेवी पत्नी ताराचन्द भाटी को दिनांक 03.08.2011 को रजिस्टर्ड सेल के जरिये कर दिया। पटवारी हल्का द्वारा श्यामलाल के नाम दर्ज भूमि खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

2123/85 में मीमोदेवी के नाम बेचान का म्यूटेशन दर्ज करना था, परन्तु नहीं किया, तथा श्यामलाल की भूमि में पेपीदेवी का म्यूटेशन भी दर्ज नहीं किया गया। पटवारी ने खसरा संख्या 2125/85 की भूमि जो मीमोदेवी के नाम तहसीलदार सिवाना की सनद द्वारा दर्ज की गई में अपीलाधीन म्यूटेशन संख्या 978 पेपीदेवी के नाम दर्ज कर दिया जिसे व्यथीत होकर उक्त अपील लाया जाना अत्यन्त आवश्यक होने से पेश की गई।

अपील दर्ज कर रेस्पोडेन्टान को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 ता 1/3 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा अपीलाण्ट की अपील के सम्बन्ध में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गई। शेष रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वकील अपीलाण्ट द्वारा लिखित बहस पेश की गई।

हमने अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता श्री पूनमचन्द्र रामदेव से बहस सुनी तथा पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 978 का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया गया। उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का गहराई से अवलोकन पर यह तथ्य सामने आया है कि श्यामलाल के नाम खसरा नम्बर 2123/85 राजस्व अभिलेख में दर्ज है तथा इसी खसरे की भूमि में से श्यामलाल द्वारा रजिस्टर्ड सेलडीड दिनांक 19.05.2008 द्वारा 798.93 वर्गफीट भूमि का बेचान मीमोदेवी को किया गया था परन्तु मीमोदेवी ने उक्त बेचान के आधार पर नामान्तरण नहीं करवाया एवं इसी बेचान दस्तावेज के आधार पर उक्त कयशुदा भूमि को आगे पेपीदेवी पत्नी ताराचन्द भाटी को दिनांक 03.08.2011 को जरिये रजिस्टर्ड सेलडीड से बेचान कर दिया गया। हल्का पटवारी द्वारा उक्त बेचान दस्तावेज का नामान्तरण मीमोदेवी के खसरा संख्या 2125/85 की भूमि में दर्ज कर दिया गया जबकि हल्का पटवारी द्वारा बेचान दस्तावेजात का गहराई से अवलोकन किया जाकर श्यामलाल द्वारा मीमोदेवी को बेचान खसरा नम्बर 2123/85 की भूमि में से ही मीमोदेवी द्वारा को आगे किये गये पेपीदेवी का बेचान का नामान्तरणकरण श्यामलाल की भूमि खसरा नम्बर 2123/85 में दर्ज किया जाना था। जिसे बिना दस्तावेजों की जांच ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत कर दिया गया। इस प्रकार के आदेश को किसी भी समय चुनोती दी जा सकती है। विधि विरूद्ध आदेश को बनाये रखना भी न्यायोचित नहीं है। अपील विलम्ब से पेश करने के सम्बन्ध मे अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम का अपील के साथ पेश किया है। अपील के तथ्यों एवं वस्तुस्थिति को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलाण्ट अन्दर म्याद स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत महिलावास के नामान्तरकरण संख्या 978 दिनांक 20.07.2012 को निरस्त किया जाकर ग्राम महिलावास के खसरा नम्बर 2125/85 से रेस्पोडेन्टस पेपीदेवी का नाम हटाकर पेपीदेवी के कायम मुकाम के नाम ग्राम महिलावास के खसरा नम्बर 2123/85 में दर्ज कर स्वीकृत करने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 06.12.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रमोद सीरवी)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O) सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Seervi
Date: 2020.02.14 18:03:42 IST
Reason: SelfAttested
Location: